रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-ए.पी.-अ.-29072024-255869
CG-AP-E-29072024-255869

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 569]	नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 26, 2024/श्रावण 4, 1946
No. 569]	NEW DELHI, FRIDAY, JULY 26, 2024/SRAVANA 4, 1946

राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, आंध्र प्रदेश

अधिसूचना

विजयवाड़ा, 6 जून, 2024

फा. सं. सीनेट -20/07/2023.—राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान अधिनियम, 2014 (2014 का 18) की धारा 31 के साथ पठित धारा 30 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संस्थान की सीनेट राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, आंध्र प्रदेश के लिए निम्नलिखित अध्यादेश बनाती है, नामत: -

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन अध्यादेशों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, आंध्र प्रदेश अध्यादेश, 2024 होगा।

(2) ये अध्यादेश शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

2. परिभाषाएं – (1) इन अध्यादेशों में, जब तक कि संदर्भ की दृष्टि से अन्यथा अपेक्षित न हो-

(क) 'अधिनियम' का अर्थ राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान अधिनियम, 2014 (2014 का 18) है;

(ख) 'शैक्षिक' का तात्पर्य शिक्षा से संबंधित क्रियाकलापों से है जैसे शिक्षण, अध्ययन, अभ्यास, अनुसंधान और प्रकाशन;

(ग) 'अकादमिक कैलेंडर' का अभिप्रेत शैक्षणिक क्रियाकलापों के कार्यक्रम से है;

(घ) 'शैक्षिक मैनुअल' का अभिप्रेत अकादमिक मामलों से संबंधित नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के संकलन से है।

(ङ) 'शैक्षिक कार्यक्रम' में शैक्षणिक क्रियाकलापों के अनुक्रम सम्मलित हैं; जिसके परिणामस्वरूप एक डिग्री, डिप्लोमा या एक प्रमाण पत्र प्राप्त होता है;

(च) 'शैक्षिक वर्ष' का तात्पर्य ग्रीष्मावकाश या शीतकालीन अवकाश सहित के साथ-साथ दो नियमित सेमेस्टर से है।

(छ) 'आकलन' का तात्पर्य विशिष्ट अध्ययन उद्देश्यों के संबंध में छात्रों के अध्ययन और कार्यनिष्पादन के साक्ष्य एकत्र करने, उनका विश्लेषण करने तथा उनकी व्याख्या करने की निरंतर प्रक्रिया से है तथा यह विभिन्न पद्धतियों का इस्तेमाल करके रचनात्मक और योगात्मक आकलन के रूप में हो सकता है;

(ज) 'अभ्यर्थी' से तात्पर्य एक ऐसे व्यक्ति से है जो संस्थान के किसी भी स्नातक, स्नातकोत्तर, डॉक्टोरल, डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र कार्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन करता है;

(झ) 'प्रमाण-पत्र' का तात्पर्य सीनेट द्वारा यथाअनुमोदित एक वर्ष तक की अवधि का संस्थान द्वारा प्रस्तावित किसी शैक्षणिक कार्यक्रम से है;

(ञ) 'दीक्षांत' का तात्पर्य संस्थान के दीक्षांत समारोह से है;

(ट) 'पाठ्यक्रम' में विषयों का ऐसा क्रम शामिल है जो एक सेमेस्टर के दौरान पूरे किए जा सकते है;

(ठ) 'पाठ्यक्रम कार्य' का तात्पर्य दर्शनशास्त्र में डॉक्टरेट (डॉक्टर ऑफ फिलॉसॉफी) करने वाले रिसर्च स्कॉलर द्वारा किए जाने वाले अध्ययन पाठ्यक्रम से है;

(ड) 'कार्यक्रम की पाठ्यचर्या' का तात्पर्य निहित पाठ्यक्रमों का समूह और अन्य शैक्षणिक गतिविधियों से है;

(ढ) 'डिग्री' का तात्पर्य संस्थान के किसी स्नातक डिग्री कार्यक्रम, स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम और डॉक्टोरल डिग्री कार्यक्रम से है;

(ण) 'विधा' का तात्पर्य किसी विशेष विषय के तहत संस्थान द्वारा कराए जाने वाले अध्ययन और अनुसंधान से संबंधित शैक्षणिक कार्यक्रमों या पाठ्यक्रमों की शाखा से है;

(त) 'ऐच्छिक' का तात्पर्य विशेषज्ञ क्षेत्र के विकल्पों में से प्रस्तावित विषय से है;

(थ) 'मूल्यांकन' का तात्पर्य किसी छात्र के समग्र प्रदर्शन की प्रभाविता और गुणवत्ता का विश्लेषण करने और उस मात्रा का मापना है जहां तक छात्र ने किसी पाठ्यक्रम अथवा एक से अधिक पाठ्यक्रमों के वांछनीय अध्ययन परिणामों को प्राप्त किया है तथा उन्हें दिए गए पैमाने पर दर्शाना है;

(द) 'परीक्षा' का तात्पर्य छात्र के शैक्षणिक प्रदर्शन का आकलन और मूल्यांकन करने के लिए प्रयुक्त प्रक्रिया से है;

(ध) 'संकाय के विषय' का तात्पर्य संस्थान की ऐसी शैक्षिक इकाई से है जो डिजाइन, अनुसंधान और विकास तथा अनेक डिजाइन विधाओं जैसी परामर्शी सेवाओं अकादमिक गतिविधियों में संलग्न है;

(न) 'श्रेणी' (ग्रेड) का तात्पर्य एक अक्षर से दर्शाए जाने वाली श्रेणी से है जो एक पाठ्यक्रम या सेमेस्टर या वर्ष या कार्यक्रम में एक छात्र के प्रदर्शन को इंगित करती हैं;

(प) 'संस्थान' का तात्पर्य राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, आंध्र प्रदेश और इसके परिसरों से है;

(फ) 'जूरी' अथवा 'जूरी पैनल' का तात्पर्य किसी पाठ्यक्रम कार्य अथवा सेमेस्टर के अंत में छात्रों के प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए संकाय या बाहरी विशेषज्ञों के पैनल से है;

(ब) 'रिसर्च स्कॉलर' का तात्पर्य इन अध्यादेशों के तहत डॉक्टोरल डिग्री कार्यक्रम के लिए पंजीकृत किसी व्यक्ति से है;

(भ) 'छात्र' से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो डॉक्टोरल या स्नातकोत्तर डिग्री या स्नातक डिग्री या डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र कार्यक्रम, जैसा भी मामला हो, के लिए पंजीकृत है तथा इसमें संस्थान के पूर्णकालिक या अंशकालिक कार्यक्रम में पंजीकृत छात्र शामिल हैं;

(2) शब्द और पद जिनका प्रयोग यहां किया गया है और इन नियमों में परिभाषित नहीं है, लेकिन अधिनियम या संविधि में परिभाषित हैं, उनका वही अर्थ होगा जो क्रमश: उन्हें अधिनियम या संविधि में दिया गया है;

(3) यदि इन अध्यादेशों में प्रयुक्त या परिभाषित शब्दों और पदों तथा संविधि या अधिनियम में प्रयुक्त और परिभाषित शब्दों या पदों में अंतर होता है तो संविधि या अधिनियम के संबंधित प्रावधान मान्य होंगे।

3. संस्थान की शैक्षणिक अवधारणा : (1) सभी अध्यापन पाठ्यक्रमों हेतु पाठ्यक्रम संरचना, पाठ्य विवरण और शिक्षण या शिक्षण कार्यक्रमों अथवा पद्धतियों के लिए संस्थान द्वारा अपनाए गए तरीकों में अभिनव सिद्धांत, अनुसंधान और कौशल की औचित्यपूर्ण, तार्किक और क्रमिक अध्ययन प्रक्रियाएं शामिल होंगी, जिसमें डिजाइन समस्याओं के लिए बहु-समाधान के दृष्टिकोण, विश्लेषण और दृश्यपरकता की व्यवहारिक और सैद्धांतिक अवधारणा, डिजाइन परियोजनाओं के लाइव एक्सपोजर और फील्ड अनुभव पर जोर दिया गया है, जिसका लक्ष्य अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शैक्षिक उद्देश्यों को पूरा करना है, नामत: -

क. पुरानी श्रेष्ठ पद्धतियों से सीखना, वर्तमान में इसका उपयोग करना और सतत भविष्य का निर्माण करना

ख. स्वतंत्र और समग्र रूप से सोचने की क्षमता विकसित करना;

ग. रचनात्मक अन्वेषण और प्रयोग के माध्यम से अभिनवीकरण एवं शिक्षण;

घ. सांस्कृतिक विविधता के लिए संवेदनशीलता और समझ विकसित करना;

ड. समस्याओं को रचनात्मक रूप से हल करने की उपयुक्तता विकसित करना;

च. अनुभवात्मक और प्रतिपादक शिक्षण के लिए अवसरों का एकीकरण करना,

छ. अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में रणनीतिक डिज़ाइन कार्यक्रम के संदर्भ में पर्यावरण, तकनीकी और सामाजिक नीति संबंधी मुद्दों के साथ डिज़ाइन शिक्षण को सुदृढ़ तथा एकीकृत बनाना;

ज. जैव विविधता, संस्कृति और शिल्प की विशिष्ट शक्तियों का उपयोग करना;

झ. डिज़ाइन आधारित अनुसंधान के लिए अवसर उत्पन्न करना;

ञ. डिजाइन के क्षेत्र में नेतृत्व और प्रबंधन के लिए अवसर उपलब्ध कराना;

त. समाज के हित के लिए अच्छे और किफायती डिज़ाइन से समस्या समाधान, अवसर निर्माण और राष्ट्र निर्माण हेतु डिजाइन की क्षमता का प्रसार करना।

थ. शैक्षिक ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और विविधता के साथ नैतिक मानकों को बनाए रखना तथा इन मूल्यों को शिक्षण पद्धति में शामिल करना जो वर्तमान और भविष्य के कार्यों को निर्धारित करेंगे।

(2) संस्थान द्वारा प्रस्तावित सभी शिक्षण कार्यक्रम निम्नलिखित को शामिल करने के लिए चलाए जाएंगे, नामत: -

क. व्यवहार्य उत्पादों और सेवाओं के लिए संस्कृति अंतरण हेतु डिज़ाइन के प्रति एक अंतर-विषयक दृष्टिकोण युक्त विषय;

ख. अनुभव और सिद्धांतों के माध्यम से मजबूत कौशल आधार विकसित करना;

ग. संरचनाबद्ध इंटर्नशिप और डिज़ाइन परियोजनाओं के माध्यम से वास्तविक जीवन से जुड़ी प्रोफेशनल स्थितियों के लिए अवसर, डिज़ाइन की प्रक्रिया और विभिन्न डिज़ाइन विधाओं के अनुप्रयोग के माध्यम से उत्पादों और सेवाओं के लिए प्रतिस्पर्धा में वृद्धि;

घ. डिज़ाइन के सामाजिक और नैतिक आयाम के बारे में जागरूकता पैदा करना;

ङ. मूल्य आधारित और सामाजिक रूप से प्रासंगिक डिज़ाइन, और

च. डिज़ाइन शिक्षा और व्यवहार में वैश्विक दृष्टिकोण।

(3) संस्थान के शिक्षण कार्यक्रम की समग्र संरचना निम्नलिखित का संयोजन होगी –

(क) अनुभव के साथ सिद्धांत, कौशल, डिज़ाइन परियोजना और फील्ड का अनुभव;

(ख) संगत उद्योग हितधारकों और बाजार की आवश्यकता के विश्लेषण से फीडबैक;

(ग) अत्याधुनिक डिज़ाइन स्टूडियो, कौशल और अभिनव प्रयोगशालाएं;

(घ) ज्ञान प्रबंधन केंद्र, और ऐसी अन्य संबंधित अवसंरचनागत सुविधाएं;

(ड.) बौद्धिक संसाधन।

4. कार्यक्रम – संस्थान, विभिन्न संकाय विषयों अथवा किसी संकाय विषय की ऐसी विधा में स्नातक, स्नातकोत्तर, डॉक्टोरल, डिप्लोमा और प्रमाण-पत्र कार्यक्रम प्रदान करेगा, जिससे छात्रों को अध्ययन पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करने पर संबंधित डिग्री, डिप्लोमा अथवा प्रमाण-पत्र प्राप्त होगा।

5. स्नातक कार्यक्रम- (1) यह संस्थान, औद्योगिक डिजाइन में बैचलर ऑफ डिजाइन, संचार डिजाइन में बैचलर ऑफ डिजाइन तथा वस्त्र और परिधान डिजाइन में बैचलर ऑफ डिजाइन के तहत पाठ्यक्रम उपलब्ध कराएगा।

(2) बैचलर ऑफ डिजाइन कार्यक्रम चार शैक्षिक वर्षों का होगा, जिसमें प्रत्येक में दो सेमेस्टर शामिल होंगे।

(3) बैचलर ऑफ डिजाइन कार्यक्रम को पूरा करने की अधिकतम अवधि छह शैक्षिक वर्ष होगी और इसमें स्नातक कार्यक्रमों में निर्धारित शैक्षिक वर्ष को दोहराने और शैक्षिक अवकाश लेना शामिल होगा।

(4) किसी भी संकाय विषय में सभी बैचलर ऑफ डिजाइन कार्यक्रमों में शुरुआती दो सेमेस्टर कॉमन फाउंडेशन प्रोग्राम के रूप में होंगे।

(5) फाउंडेशन प्रोग्राम के बाद विधा या संकाय विषय का आबंटन उनके फाउंडेशन प्रोग्राम में छात्रों के प्रदर्शन पर आधारित होगा और फाउंडेशन प्रोग्राम के बाद विधा या संकाय विषय का आबंटन स्नातक कार्यक्रम के अनुसार होगा।

(6) फाउंडेशन प्रोग्राम के बाद संकाय विषय में शिक्षण के छह सेमेस्टर या किसी भी संकाय के विषयों के तहत किसी भी विशेषज्ञता या किसी भी संकाय के विषयों के तहत कोई विशेषज्ञता शामिल है।

(7) छह सेमेस्टर में से, अंतिम सेमेस्टर में संबंधित संकाय विषय या तदनुसार विशेषज्ञता के लिए प्रासंगिक स्नातक परियोजना शामिल होगी।

(8) ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से किसी विषय (विज्ञान, कला, वाणिज्य, मानविकी, आदि) में हायर सेकेण्डरी सर्टिफिकेट परीक्षा या समतुल्य की परीक्षा उत्तीर्ण की हो, बैचलर ऑफ डिजाइन कार्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होंगे।

(9) कोई अभ्यर्थी जिसने भारत के अतिरिक्त किसी अन्य देश से अर्हता प्राप्त की है जिसे भारत सरकार द्वारा मान्यता दी गई है वह भी बैचलर ऑफ डिजाइन कार्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र होगा।

(10) ऐसे अभ्यर्थी जो पात्रता परीक्षा में बैठे हों और जिनका परिणाम प्रवेश के लिए आवेदन करते समय घोषित नहीं किया गया हो वे भी बेचलर ऑफ डिज़ाइन कार्यक्रम में प्रवेश हेतु आवेदन करने के लिए पात्र होंगे।

बशर्ते कि ऐसे अभ्यर्थी यदि चयनित होते हैं तो उन्हें अनंतिम प्रवेश दिया जाएगा और उनके द्वारा संस्थान द्वारा यथानिर्धारित तारीख तक या उससे पूर्व पात्रता परीक्षा का परिणाम प्रस्तुत करना होगा, ऐसा न करने पर अभ्यर्थी का प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा।

(11) संस्थान, पूर्णकालिक (नियमित) बैचलर ऑफ डिजाइन कार्यक्रम ऑफलाइन तरीके से संचालित करेगा तथा गतिविधि अध्यक्ष (शिक्षा) के पूर्वानुमोदन से कुछ पाठ्यक्रम ऑनलाइन और हाइब्रिड मोड, यदि अपेक्षित हो, से संचालित कर सकता है।

(12) सीनेट, शासी परिषद् के पूर्वानुमोदन से प्रत्येक विधा में सभी बैचलर ऑफ डिजाइन कार्यक्रमों के लिए स्नातक कार्यक्रम तैयार और प्रकाशित करेगी।

6. डिप्लोमा अथवा प्रमाण-पत्र कार्यक्रम – संस्थान, सीनेट द्वारा संस्थान की शासी परिषद् के पूर्वानुमोदन से तैयार और प्रकाशित कार्यक्रमों के अनुसरण में किसी विधा अथवा विशेषज्ञता में डिप्लोमा अथवा प्रमाण-पत्र कार्यक्रम उपलब्ध करा सकता है।

7. प्रवेश अधिसूचना – (1) शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए प्रवेश के लिए अधिसूचना, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और संस्थान की वेबसाइट पर तथा अन्य मीडिया, जैसा कि शासी परिषद् द्वारा निदेश निदेश दिया गया हो, के जरिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित की जाएगी, जिसमें अन्य के साथ-साथ आवेदन प्रपत्र जमा करने की अंतिम तारीख का उल्लेख होगा।

(2) प्रवेश की अधिसूचना में शैक्षणिक कार्यक्रमों का ब्यौरा, प्रवेश के लिए उनका पात्रता मानदंड, उपलब्ध सीटों की संख्या तथा विभिन्न श्रेणियों के तहत उनका आबंटन, आरक्षण नीति, कार्यक्रम की अवधि, शुल्क संरचना, आयु सीमा, प्रवेश परीक्षा केन्द्रों के स्थान, चयन प्रक्रिया तथा समय-सीमा और अन्य सूचना शामिल होगी जैसा कि शासी परिषद् द्वारा निर्णय किया गया हो।

(3) प्रवेश से संबंधित जारी जानकारी प्रवेश पुस्तिका अथवा विवरणिका अथवा सूचीपत्र (प्रोस्पेक्टस) के रूप में जारी की जाएगी तथा भावी छात्रों को उपलब्ध कराई जाएगी।

8. प्रवेश परीक्षा – (1) संस्थान स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टोरल स्तर के विभिन्न कार्यक्रमों में प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों को चयन करने के लिए राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा आयोजित करेगा।

(2) संस्थान, शासी परिषद् के पूर्वानुमोदन से, छात्रों का चयन करने के लिए प्रवेश परीक्षा अंकों के जरिए प्रवेश हेतु किसी कंसोर्टियम अथवा साझा प्रवेश परीक्षा में भाग ले सकता है।

9. सीटों का आरक्षण - संस्थान, राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के लिए समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग अभ्यर्थियों और अन्य विशेष श्रेणी के व्यक्तियों के लिए आरक्षण से संबंधित प्रासंगिक नियमों और विनियमों का पालन करेगा।

10. विदेशी छात्रों का प्रवेश – प्रत्येक कार्यक्रम में प्रवेश के लिए सीटों की आबंटित संख्या के अलावा विदेशी छात्रों के लिए अधिसंख्य आधार पर पंद्रह प्रतिशत सीटें आरक्षित होंगी।

11. प्रवेश समिति और प्रवेश प्रकोष्ठ – (1) निदेशक द्वारा प्रवेश समिति और प्रवेश प्रकोष्ठ का विधिवत् रूप से गठन किया जाएगा।

(2) सीनेट के पूर्वानुमोदन से प्रवेश समिति प्रवेश परीक्षा के जरिए अभ्यर्थियों का चयन करने के लिए मानक, प्रक्रिया और मानदंड निर्धारित करेगी।

(3) प्रवेश प्रकोष्ठ उप-पैराग्राफ (2) में संदर्भित मानकों, प्रक्रियाओं और मानदंडों को कार्यान्वित करेगा।

12. छात्रों का नामांकन – (1) सभी छात्र जिनको संस्थान के किसी कार्यक्रम में प्रवेश दिया गया है, उन्हें निर्धारित समय-सीमा में यथा अपेक्षित शैक्षणिक प्रमाण पत्र और दस्तावेजों को शैक्षणिक कार्यालय में जमा कराना होगा, ऐसा न करने पर उनका प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा।

(2) सभी छात्र, जिन्हें संस्थान के किसी कार्यक्रम में प्रवेश दिया गया है उन्हें निर्धारित समय सीमा में अपेक्षित शिक्षण शुल्क और अन्य शुल्कों का भुगतान करना होगा, ऐसा न करने पर प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा।

(3) शुल्क और अन्य राशि का भुगतान करने तथा सभी अनिवार्य दस्तावेज का सत्यापन करने के पश्चात संस्थान छात्र को एक नामांकन नंबर प्रदान करेगा।

(4) उक्त नामांकन संख्या, संबंधित छात्र के लिए संस्थान के सभी अभिलेखों में स्थायी संदर्भ संख्या होगी चाहे छात्र के शैक्षणिक मामले कोई भी हों, जैसे शैक्षणिक सत्र, रिपीट, अकादमिक ब्रेक।

(5) कार्यक्रम के लिए प्रारंभिक पंजीकरण तारीख, आमतौर पर छात्र द्वारा औपचारिक रूप से शुल्क के भुगतान की तारीख होगी जिसे कार्यक्रम से संबंधित सभी प्रयोजनों के लिए प्रवेश की तारीख माना जाएगा।

(6) संस्थान के अनुशासनात्मक नियमों के अनुसार किसी छात्र के नामांकन को अनुशासनात्मक

आधार पर समाप्त किया जा सकता है।

13. शिक्षण और अन्य शुल्क तथा जमा राशि - निर्धारित शिक्षण शुल्क, अन्य शुल्क तथा मेस प्रभार को छोड़कर जमा राशि जैसा कि शासी परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया है, सभी छात्रों द्वारा प्रत्येक शैक्षिक वर्ष या सेमेस्टर के आरंभ में देय होगा जैसा कि संस्थान द्वारा अधिसूचित किया गया है।

14. छात्रों की उपस्थिति, अनुपस्थिति और अवकाशः पाठ्यक्रम मूल्यांकन, सेमस्टर की समाप्ति पर जूरी हेतु पात्र होने के लिए प्रत्येक छात्र की सभी व्याख्यान, ट्यूटोरियल; स्टूडियो कार्य; कार्यशाला अभ्यास सत्रों; फील्ड वर्क; सेमिनार और इस तरह के अन्य इंटरफेस में न्यूनतम उपस्थिति अपेक्षित होगी जैसा कि समय-समय पर सीनेट द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

15. छात्रों का अनुशासन और आचरण - (1) सभी छात्रों को संस्थान के भीतर एवं बाहर अनुशासन का पालन करते हुए मर्यादा बनाये रखना आवश्यक है, और वे ऐसी गतिविधियों जो संस्थान की प्रतिष्ठा धूमिल कर सकती हैं, में संलिप्त नहीं होंगे।

(2) प्रत्येक छात्र शैक्षणिक सलाहकार समिति द्वारा समय-समय पर निर्धारित आचार संहिता का पालन करेगा।

(3) किसी छात्र द्वारा अनुशासनहीनता या कदाचार या आचार संहिता का उल्लंघन या किसी प्रकार के पेशेवर कदाचार के किसी भी कृत्य के संबंध में, संस्थान के शैक्षणिक सलाहकार समिति द्वारा संगत नियमों, विनियमों, निर्धारित मानदंडों और प्रक्रिया के अनुसार शैक्षणिक अनुशासनात्मक समिति द्वारा कार्रवाई की जाएगी।

16. शैक्षणिक कैलेंडर: अनुशासन प्रमुखों के परामर्श से क्रियाकलाप अध्यक्ष (शिक्षा) और कैंपस के डीन, प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत से पहले, संस्थान और उनके कैंपस के शिक्षण और अनुसंधान कार्यक्रमों के शैक्षिक कैलेंडर को तैयार करेगा और अंतिम रूप देगा।

17. छात्रों के रिकार्ड का रखरखावः (1) रजिस्ट्रार संबंधित कैंपस में शैक्षणिक कार्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक छात्र की व्यक्तिगत जानकारी रखेगा और ऐसी व्यक्तिगत जानकारी को गोपनीय रखा जाएगा।

(2) व्यक्तिगत फाइल में निम्नलिखित उपलब्ध होंगेः-

(क) प्रवेश के समय छात्र द्वारा भरे व्यक्तिगत डेटा,

(ख) माता-पिता और स्थानीय अभिभावक के बारे में जानकारी,

(ग) प्रवेश के समय प्रस्तुत की गई चिकित्सकीय जानकारी और फिटनेस प्रमाण-पत्र,

(घ) छात्र द्वारा प्रस्तुत की गई सभी वचनबद्धताएं,

(ङ) छात्र को जारी किए गए किसी चेतावनी-पत्र या ज्ञापन आदि की प्रति,

(च) छात्र / पिता / अभिभावक के साथ पत्राचार, यदि कोई हो

(छ) सभी मूल्यांकन ग्रेड शीट्स, छात्रों को जारी शैक्षणिक प्रगति रिपोर्ट और अन्य प्रमाणपत्र या पत्रों की प्रति,

(ज) फीस के भुगतान सहित छात्रावास में प्रवेश के रिकार्ड, और

(झ) संस्थान की फीस के भुगतान का रिकार्ड और छात्रों के अध्ययन एवं कैम्पस लाइफ से संबंधित के अन्य सभी जानकारी।

18. परीक्षाओं का संचालन: (1) संस्थान द्वारा सेमेस्टर के दौरान और अंत में, छात्रों के लिए संस्थान में क्रेडिट आधारित आकलन और मूल्यांकन प्रणाली की निम्नानुसार व्यवस्था की जाएगीः-

(क) क्रेडिट्स आधारित मूल्यांकन प्रणाली जिसमें क्रेडिट इकाइयों के बीच में संबंध, अवधि और साप्ताहिक घंटों के आधार पर समरूपी अध्ययन का भार शामिल हैं,

(ख) अध्ययन के प्रत्येक पाठ्यक्रम को क्रेडिट सौंपा गया है,

(ग) सह-पाठ्यक्रम और पाठ्येतर गतिविधियों के लिए प्रदान किया गया क्रेडिट;

(घ) ग्रेडिंग स्केल सहित ग्रेडिंग प्रणाली,

(ङ) पाठ्यक्रम संबंधी कार्य सहित शैक्षणिक मूल्यांकन के घटक और जूरी,

(च) मानक और किसी भी पाठ्यक्रम के मूल्यांकन एवं आकलन के चरण;

(छ) अगले सेमेस्टर या वर्ष के लिए छात्र की प्रोन्नति को शासित करने वाली पूर्व अपेक्षाएं,

(ज) इस प्रकार के अन्य मानदण्ड जैसा कि संस्थान द्वारा अधिसूचित किया जाएं;

(2) अध्ययन के कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए प्रत्येक छात्र को अलग-अलग पाठ्यक्रम स्तर, सेमेस्टर स्तर पर क्रेडिट और मूल्यांकन मानदंडों को पूरा करना होगा।

(3) इन अध्यादेशों के लागू होने की तारीख से स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों हेतु, क्रेडिट और मूल्यांकन मानदंडों को लागू किया जाना तब तक वैध होगा और सभी कार्यक्रमों के मूल्यांकन के उद्देश्य के लिए लागू होंगे जब तक कि इन अध्यादेशों के अंतर्गत शैक्षिक सलाहकार समिति की सिफारिशों के आधार पर सीनेट द्वारा क्रेडिट और मूल्यांकन मानदंडों को तैयार और लागू नहीं कर दिया जाता।

19. शिकायत निवारण समितिः

(1) शिक्षण से संबंधित शिकायतों का निवारण करने के लिए निदेशक द्वारा शैक्षणिक मामलों से संबंधित निवारण समिति का गठन किया जाएगा।

(2) समिति में कम से कम तीन सदस्य निदेशक द्वारा संकाय से नामांकित होंगे;

(3) ऐसे संकाय सदस्य जिनके विरूद्ध कोई शिकायत होगी, उन्हें ऐसी समिति के एक सदस्य के रूप में नामांकित नहीं किया जाएगा।

(4) शैक्षणिक मामलों से संबंधित किसी भी शिकायत को पहले क्रियाकलाप अध्यक्ष (शिक्षा) को प्रस्तुत किया जाएगा जो संबंधित अनुशासन अध्यक्ष या संबंधित प्राधिकारियों के साथ परामर्श करके शिकायत को हल करेगा, समाधान न होने पर शिकायत को शैक्षणिक शिकायत निवारण समिति को सौंपा जाएगा।

(5) शिकायत निवारण समिति क्रियाकलाप अध्यक्ष (शिक्षा) को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी।

(6) शिकायत निवारण प्रक्रिया की सिफारिशों को संबंधित छात्र को शिकायत दर्ज करने के एक माह के भीतर सूचित किया जाएगा।

20. अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू संबंध – संस्थान, छात्र या संकाय के आदान-प्रदान, प्रशिक्षण, अनुसंधान, पारस्परिक कार्यक्रमों और परियोजनाओं के रूप में समान कार्यक्षेत्र और अकादमिक रुचि वाले सार्वजनिक और निजी संस्थानों और संगठनों के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संबंध बनाएगा।

21. आकस्मिक मामलेः निदेशक द्वारा, आकस्मिक स्थितियों में, किसी भी शैक्षणिक मामले में, अपने विवेकानुसार उपयुक्त निर्णय लिया जा सकता है और इसके संबंध में संबंधित प्राधिकारी की अगली बैठक में उनके द्वारा रिपोर्ट किया जाएगा तथा ऐसे सभी निर्णयों को सीनेट के अनुमोदन के लिए उसकी अगली बैठक में सीनेट के समक्ष लाया जाएगा।

डॉ. एन. तेज लोहित रेड्डी, आईएएस, कार्यवाहक निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./338/2024-25]

NATIONAL INSTITUTE OF DESIGN, ANDHRA PRADESH

NOTIFICATION

Vijayawada, the 6th June, 2024

F.No. Senate – 20/07/2023.—In exercise of the powers conferred under section 30 read with section 31 of the National Institute of Design Act 2014 (18 of 2018), the Senate of the Institute hereby makes the following Ordinances for the National Institute of Design, Andhra Pradesh, namely:

1. **Short title and commencement. –** (1) These Ordinances may be called as the National Institute of Design, Andhra Pradesh Ordinances, 2024.

   (2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions. – (1) In these Ordinances, unless the context otherwise requires –**

   (a) "Act" means the National Institutes of Design Act, 2014 (18 of 2014);

   (b) "academic" means the activities concerned with educations like teaching, learning, practising, research and publication;

   (c) "academic calendar" means the schedule of activities related to academics;

   (d) "academic manual" means the compilation of rules, regulations and guidelines pertaining to academic matters;

   (e) "academic programme" includes the sequence of academic activities leading to a degree, a diploma or a certificate;

   (f) "academic year" means two regular semesters along with a summer or winter break.

(g) "assessment" means the continuous process of collecting, analysing, and interpreting evidence of students' learning and performance in relation to specific learning objectives and criteria, and it can be in the form of formative or summative assessment using various methods;

(h) "candidate" means an individual who applies for admission to any undergraduate, postgraduate, doctoral, diploma or certificate programme of the Institute;

(i) "certificate" means any academic programme offered by the Institute up to one-year duration approved by the Senate;

(j) "convocation" means the convocation of the Institute;

(k) "course" includes a sequence of topics that can be covered during a semester;

(l) "coursework" means the courses of study to be undertaken by a Research Scholar registered for the Doctor of Philosophy programme;

(m) "curriculum of a programme" means a set of courses and other academic activities;

(n) "degree" means any undergraduate degree programme, postgraduate degree programme and Doctoral degree programme of the institute;

(o) "discipline" means a branch of educational programmes or courses related to studies and research offered by the Institute under a particular faculty stream;

(p) "elective" means the subject offered amongst options in a specialised field;

(q) "evaluation" means analysing the effectiveness and quality of the overall performance of the student and measuring the extent to which students achieve the intended learning outcomes of any course or set of courses together and indicating them on a given scale;

(r) "examination" means any procedure used to assess and evaluate the academic performance of a student;

(s) "faculty stream" means an academic unit of the Institute engaged in such academic activities as design education, research and development and consultancy having multiple design disciplines;

(t) "grade" means a letter grade indicating the performance of a student in a course or semester or year or programme;

(u) "Institute" means the National Institute of Design, Andhra Pradesh and its campuses;

(v) "jury" or "jury panel" means a panel of faculty or external experts for evaluation of the performance of students at the end of any coursework or semester;

(w) "research scholar" means a person registered for the doctoral degree programme under these Ordinances;

(x) "student" means a person registered for any doctoral degree or postgraduate degree or undergraduate degree or diploma or certificate, as the case may be, and includes a student registered for any programme in full-time or part-time mode of the Institute;

(2) The words and expressions used and not defined in these ordinances but defined in the Act or the Statutes shall have the meanings respectively assigned to them in the Act or the Statutes.

(3) If there is any conflict between the words and expressions used or defined in these Ordinances with the Statutes or Act, the corresponding provisions of the Statutes or Act shall prevail.

3. Educational Philosophy of the Institute. – (1) The curricula structure, syllabus and teaching or learning methodologies or pedagogical practices adopted by the Institute for all teaching programmes shall include a combination of rational, logical and sequential learning processes of innovative theory, research and skills with the emphasis on the hands-on and minds-on approach to perception, analysis, and visualisation of multiple solutions for design problems, live exposure to design projects and field experience, aimed at meeting, inter alia, the following academic objectives, namely: --

(a) practicing the best of the past, relevance of today and sustainable tomorrow;

(b) inculcate the ability to think independently and holistically;

(c) innovate and learn through creative exploration and experimentation;

(d) develop sensitivity towards and understanding of cultural diversity;

(e) develop felicity in creative problem-solving;

(f) integrate opportunities for experiential and exponential learning;

(g) reinforce and integrate design learning with environmental, technological and social policy issues for strategic design intervention in all fields of the economy;

(h) capitalise on the unique strengths in biodiversity, culture and crafts;

(i) generate opportunities for design-based research;

(j) provide opportunities for leadership and management in the design domain;

(k) spread the power of design for problem-solving, opportunity creation, and nation building with good and affordable design to benefit society;

(l) maintain and sustain ethical standards with academic honesty, integrity, and diversity and to integrate these core values into pedagogical practices that shall determine actions of the present and the future.

(2) All academic programmes offered by the Institute shall be oriented to incorporate the following, namely: –

(a) a subject-specific with an interdisciplinary approach to design for transferring culture to viable products and services;

(b) strong skill base through hands-on and minds-on experience;

(c) exposure to real-life professional situations through structured internships and design projects to provide a competitive edge to products and services through the design process and application of various design disciplines;

(d) awareness of social and ethical dimensions of design;

(e) value-based and socially relevant design;

(f) global perspectives in design education and practice.

(3) The overall structure of the Institute's academic programmes shall be a combination of –

(a) theory, skills, and design projects with field experience;

(b) feedback from relevant industry stakeholders and analysis of market needs;

(c) cutting-edge design studios, skill and innovation labs;

(d) knowledge Management Centre, and other such related infrastructural facilities;

(e) intellectual resources.

4. Programmes. – The institute shall offer the undergraduate, postgraduate, doctoral degree, diplomas and certificate programmes in various faculty streams or any discipline in a faculty stream leading to the award of the respective degrees, diplomas or certificates on the students upon successful completion of the courses of study.

5. Undergraduate Programmes. – (1) The institute shall offer courses under Bachelor of Design in Industrial Design, Bachelor of Design in Communication Design, and Bachelor of Design in Textile and Apparel Design.

(2) The Bachelor of Design programme shall be of four academic years comprising two semesters in each.

(3) The maximum duration to complete the Bachelor of Design programme shall be six academic years and include the academic year repeat and academic break as stipulated in the undergraduate programmes.

(4) All the Bachelor of Design programmes in any faculty stream shall have an initial two semesters as a common foundation programme.

(5) The discipline or faculty stream allocation after the foundation programme shall be based on the performance of the students in their foundation programme and the allocation of the discipline or faculty stream after the foundation programme shall be as per the undergraduate programmes.

(6) The foundation programme is followed by six semesters of learning in a faculty stream or any specialisation under any of the faculty streams.

(7) Out of the six semesters, the final semester shall include a graduation project relevant to the respective faculty stream or specialisation accordingly.

(8) A candidates who has passed or appears for the Higher Secondary Certificate Examination or equivalent in any stream (Science, Arts, Commerce, Humanities, etc.) from any recognised Board shall be eligible to apply for admission to the Bachelor of Design programme.

(9) A candidates who possess the qualification from any country other than India, recognized by the Central Government shall also be eligible for admission to the Bachelor of Design programme.

(10) A candidate who appears or has appeared for the qualifying examination and whose results has not been declared at the time of application for admission shall be eligible to apply for admission to the Bachelor of Design programme:

Provided that such candidates shall, if selected, be granted provisional admission and shall be required to submit the result of the qualifying examination on or before the date specified by the Institute, failing which the candidate's admission shall stand cancelled.

(11) The institute shall offer the Bachelor of Design programmes in full-time (regular) and in offline mode and may offer some of the courses in online and hybrid mode, if required, with the prior approval of the Activity Chairperson (Education).

(12) The Senate shall with the prior approval of the Governing Council prepare and publish an undergraduate programmes for all Bachelor of Designs programme in each discipline.

6. Diploma or certificate programme. – The institute may offer any Diploma or certificate programmes in any discipline or specialisation, in accordance with the programmes prepared and published by the Senate, with the prior approval of the Governing Council of the institute.

7. Admission notification. – (1) Admission to all the academic programmes shall be notified at the national level through print, electronic media and on the website of the Institute and such other media as may be directed by the Governing Council, which inter alia, shall mention the last date for submission of application form.

(2) The admission notification shall include the details of academic programmes offered, their eligibility criteria for admission, number of seats available and allocation of the same under various categories, reservation policy, duration of the programme, fee structure, application fee, age limits, venues for the admission test centres, selection process and timeline, and such other information as may be decided by the Governing Council.

(3) All the information related to the admission may also be supplied as an admission booklet or brochure or prospectus and made available to the prospective students.

8. Admission test. – (1) The Institute shall conduct a national-level admission test to select the candidates for admission into its various programmes on offer at undergraduate, postgraduate and Doctoral levels.

(2) The Institute may with the prior approval of the Governing Council also join any consortium or common entrance examination for the selection of students for the admission through its entrance examination score.

9. Reservation of seats. – The Institute shall follow relevant rules and regulations with respect to reservation of seats for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, differently-abled candidates, and other special categories of persons as notified by the Central Government from time to time for Institutions of National Importance.

10. Admission to foreign students. – Fifteen percent seats on supernumerary basis shall be reserved for foreign students over and above the allocated number of seats for admission to each programme.

11. Admission Committee and Admission Cell. – (1) The admission committee and the admission cell shall be duly constituted by the Director.

(2) The admission committee with prior approval of the Senate shall lay down the norms, procedures and criteria for selection through the admission tests.

(3) The admission cell shall implement the norms, procedures and the criteria referred to in sub-paragraph (2).

12. Enrolment of students. – (1) Every student offered admission to a programme at the Institute shall submit to the academic office of the Institute within the stipulated period, such academic certificates and documents as may be required, failing which their candidature shall stand cancelled.

(2) Every student offered admission shall pay the tuition and other fees and deposits as notified by the Institute, within the stipulated period, failing which their candidature shall stand cancelled.

(3) Upon payment of fees and deposits and upon verification and submission of all mandatory documents, the Institute shall provide an Enrolment Number to the student.

(4) The Enrolment Number shall be the permanent reference number in all records of the Institute pertaining to the student concerned irrespective of the students' academic incidents, such as academic year, repeat or academic break.

(5) The date of initial registration for any programme shall normally be the date on which the student formally registers for the respective programme upon payment of fees which shall be construed as the date of joining the programme for all purposes.

(6) The enrolment of a student may be terminated on disciplinary grounds, in accordance with the disciplinary rules of the Institute.

13. Tuition and other fees and deposits. – The prescribed tuition fees, other fees and deposits, except mess charges, as approved by the Governing Council, shall be payable by all students at the beginning of each academic year or semester as notified by the Institute.

14. Attendance, absence and leave for students. – A student shall be required to have minimum attendance at all lectures, tutorials, studio work, workshop practice sessions, field work, seminars and such other interfaces to become eligible for course evaluations, semester end jury, as may be determined by the Senate from time to time.

15. Student discipline and conduct. – (1) Every student shall observe discipline and maintain decorum both inside and outside the campus and shall not indulge in any activity which may bring disrepute to the Institute.

(2) Every student shall observe the code of conduct stipulated by the Academic Advisory Committee from time to time.

(3) Any act of indiscipline or misconduct or violations of the code of conduct or any kind of professional misconduct by any student, shall be dealt by the Academic Disciplinary Committee in accordance with the relevant rules, regulations, norms or procedure stipulated by the Academic Advisory Committee of the institute.

16. Academic Calendar. – The Activity Chairperson (Education) and Dean of the campus, in consultation with the Discipline leads, shall prepare and finalise the academic calendar of teaching and research programmes at the Institute and its campuses prior to the beginning of each academic year.

17. Maintenance of student records. – (1) The Registrar shall maintain a personal record of every student admitted to the academic programmes at the respective campuses and such personal information shall be kept confidential.

(2) The personal file shall contain: –

(a) personal data filled by the student at the time of admission;

(b) information about parents and local guardian;

(c) medical history and fitness certificate submitted at the time of admission;

(d) all undertakings submitted by the student;

(e) copy of any warning letters or memos issued to the student;

(f) communication with the student or parent or guardian, if any;

(g) copy of all evaluation grade sheets, academic progress reports and any certificates or letters issued to the students;

(h) record of admission to the hostel including payment of fees; and

(i) record of payment of fees of the institute and all such other information relevant to the study and campus life of the students.

18. Conduct of Examinations. – (1) The Institute shall have credit based assessment and evaluation system, for the students during and at the end of the semester conducted as under: –

(a) credits-based evaluation system including correlation between credit units, duration and the corresponding study load in terms of hours per week;

(b) credits assigned to each course of study;

(c) credits assigned for co-curricular and extra-curricular activities;

(d) grading system including grading scales;

(e) components of academic evaluation including coursework and jury;

(f) parameters and stages of evaluation and assessment of any course;

(g) prerequisites governing advancement of a student to the next semester or year;

(h) such other criteria as may be notified by the Institute;

(2) A student shall be required to fulfil credit and evaluation norms at every individual course level and semester level for successful completion of a programme of study.

(3) The credits and evaluation norms for undergraduate and postgraduate programmes applicable on the date of commencement of these Ordinances shall remain valid and apply for the purpose of evaluation of all the programmes until the credit and evaluation norms are prepared and notified by the Senate on the recommendation of the Academic Advisory Committee under these Ordinances.

19. Grievances Redressal Committee. – (1) The Director shall appoint an Academic Grievances Redressal Committee to address grievances relating to academic matters.

(2) The Committee shall comprise at least three members of the faculty to be nominated by the Director.

(3) The faculty against whom a grievance is made, shall not be nominated as a member of such Committee.

(4) Any grievance related to academic matters shall first be submitted to the Activity Chairperson (Education), who shall resolve the grievance in consultation with the Discipline Lead concerned or the authorities concerned, failing which the grievance shall be referred to the Grievances Redressal Committee.

(5) The Grievances Redressal Committee shall submit its recommendations to the Activity Chairperson (Education).

(6) The recommendation of the Grievances Redressal Process shall be communicated to the student concerned within a month of filing of the grievance.

20. International and domestic linkages. – The Institute shall maintain linkages at the national and international level with public and private institutes and organisations with similar orientation and academic interest in the form of student or faculty exchange, training, research, twinning programmes and projects.

21. Emergent Cases. – The Director may, in emergent situations, take such decision and action on any academic matter as deemed appropriate and report it at the next meeting of the authority concerned and all such decisions shall be brought before the Senate in its next meeting for the approval of the Senate.

Dr. N. TEJ LOHIT REDDY, IAS, Director Officiating

[ADVT.-III/4/Exty./338/2024-25]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA